



भारत सरकार

कार्यालय आयकर आयुक्त(छूट),
आयकर भवन, 5, आशोक मार्ग, लखनऊ।

द्रस्ट/संस्थान का नाम : सार्थक फाउण्डेशन,

पता : 129, मानस विहार (इन्स्टलेव) पिकनिक स्पाट रोड, फरीदीनगर,
लखनऊ उम्रो

पैन : AAAJS4992D

आदेश तिथि : 21.08.2015

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G (5)(vi) के अन्तर्गत अनुमोदन

आयकर अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत उपरोक्त द्रस्ट का पंजीकर दिनांक 20.03.2010 की प्रभावी तिथि से पंजीकरण संख्या (यूआरएनो) 3607 के अन्तर्गत दिनांक 20.03.2010 को विद्वान कार्यालय आयुक्त, (छूट), लखनऊ के आदेश द्वारा किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि आयकर आयुक्त, (छूट), लखनऊ के आदेश द्वारा किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि सार्थक फाउण्डेशन, 129, मानस विहार (इन्स्टलेव) पिकनिक स्पाट रोड, फरीदीनगर, लखनऊ उम्रो को दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G (5)(vi) में दिये गये शर्तों को पूरा करने पर आयकर अधिनियम 1961 की 80G (V) के अन्तर्गत कटौती के लिए योग्य होगा।

2. यह अनुमोदन दिनांक 21.08.2015 की प्रभावी तिथि से लगातार उस अवधि तक वैध माना जाएगा जब तक विशेष रूप से इसे वापस न ले लिया जाए।

(i) जिस निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में यह द्रस्ट/संस्थान का केस आता है, उसके कार्यालय में आय एवं व्यय खाता, प्राप्ति रसीद एवं भुगतान का विवरण तथा तुलनपत्र (बैलेस सीट) सहित आई.टी.आर.-7 में आयकर विवरणी प्रत्येक वर्ष दाखिल की जानी होगी।

(ii) अधोहस्ताक्षरी आयकर आयुक्त(छूट), लखनऊ के पूर्व अनुमोदन के बिना द्रस्ट डीड/प्रलेख (Memorandum of Association) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(iii) दानदाता को जारी की गई प्रत्येक रसीद में विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यूआर.एन.) एवं आदेश की तिथि अवश्य अंकित की जानी होगी।

धारा 80G (V)(vi) के प्रावधानों के अन्तर्गत 12ए. धारा 12ए.(1)(बी) में पंजीकृत अथवा धारा 10(23C), 10(23C)(via) के अन्तर्गत अनुमोदित संस्थान/फंड, संसीन में चलाई जा रही किसी भी व्यापारिक गतिविधि से संबंधित खाता बही का अलग से रख-रखाव करेंगे तथा ऐसी गतिविधि को आरंभ करने से संबंधित सूचना इस कार्यालय को एक माह भीतर अवश्य की जाएगी।



-2-

५०
(पी०क० बजाज)
आयकर आयुक्त (छूट),
लखनऊ।

फारसः: आ०आ०(छूट) / लख० / ८०जी / २०१५-१६ / ३८१

दिनांक: 21.08.2015

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (छूट), रेंज लखनऊ।
2. आयकर उप/सहायक आयुक्त (छूट), सर्किल लखनऊ।
3. आयकर अधिकारी(छूट), लखनऊ।
- ✓ 4. आवेदक।



बैलेस
(विनय श्रीवास्तव)
आयकर अधिकारी(यू०)
कार्यालय आयकर आयुक्त(छूट),
लखनऊ।